प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति

दाण्डिक अपील 1634/1995

अपीलार्थी नरेंद्र भूषण दुबे

विरूद्ध

उत्तरवादी मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

निर्णय

दिनांक 20 सितंबर, 2010 को आदेश हेतु सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षर /-

मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायामूर्ति

20/9/2010

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति

दाण्डिक अपील 1634/1995

अपीलार्थी नरेंद्र भूषण दुबे

विरूद्ध

उत्तरवादी मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

उपस्थित:

श्री शैलेन्द्र दुबे, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।

श्री सतीश गुप्ता, शासकीय अधिवक्ता राज्य की ओर से ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(20 सितम्बर 2010 को घोषित)

1) यह अपराधिक अपील विशेष न्यायाधीश एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के विशेष प्रकरण क्र. 186/1994, को दिनांक 20.11.1995 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के विरूद्ध जिसके द्वारा अपीलार्थी को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (जिसे आगे एन.डी.पी.एस.अधिनियम के रूप में कहा जावेगा) कि धारा 20 (ख) के अंतर्गत अपराध का दोषी पाए जाने पर उसे दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000/-के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि भुगतान न किए जाने पर छः माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा।

2) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में यह है कि दिनांक 11/10/1994 को आर.के.राय निरीक्षक को ग्राम संबलपुरी में प्रतिबन्धित गांजा आने की सूचना मिलने पर प्रधान आरक्षक ललन सिंह एवं

आरक्षक कुमार को रोजनामचा सान्हा क्र. 307 में सूचना दर्ज कर पूछताछ हेतु भेजा गया। तत्पश्चात् दिनांक 12.10.1994 को ललन सिंह प्रधान आरक्षक ने आर.के. राय आरक्षी केन्द्र निरीक्षक को दूरभाष से सूचित किया कि गांजा आने तथा परिवहन में है और उसके पहुंचने की संभावना है, जिसके पश्चात् दिनांक 12.10.1994 को उक्त सूचना को रोजनामचा सान्हा क्र. 323 में दर्ज कर अनवेषण अधिकारी द्वारा संबलपुरी पाड़ मार्ग पर पहुंचने हेतु रवाना हुए। अभियोजन पक्ष का आगे प्रकरण यह है की दोपहर के लगभग 12:45 बजे अभियुक्त/अपीलार्थी को सायकल में आते देखा तथा उसे रोका गया और अभियुक्त को यह बताया गया की उसकी तालाशी लेना है और उसे यह भी बताया गया कि वह पुलिस निरीक्षक है। वह किसी पुलिस निरीक्षक, राजपत्रित अधिकारी या दण्डाधिकारी से तालाशी करवा सकता है, अपीलार्थी ने तालाशी हेतु अपनी सहमति दिये जाने पर प्र.पी. 7 सहमति पत्र लेखबद्ध किये जाने के पश्चात् तलाशी ली गई। सायकल में रखे एक थैले के अंदर 4 किलोग्राम गांजा दो पैकेटो में बरामद किया गया। जिसे साक्षी रविशंकर (अ.सा.2) एवं साक्षी शिव कुमार तिवारी (अ.सा.3) की उपस्थिति में जप्त किया गया। जप्ती पत्र प्र.पी.2 है, प्रत्येक पैकेट में से नमूना हेतु 50 ग्राम गांजा निकालकर सीलबंद किया गया। देहाती नालीशी प्र.पी. 1-क जप्ती के तुरंत पश्चात् मौके पर लेखबद्ध की गई। अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया, गिराफ्तारी ज्ञापन प्र.पी. 15 है। जप्त गांजा, सायकल देहाती नालिशी और अपीलार्थी को प्रधान आरक्षक ललन सिंह द्वारा आरक्षी केन्द्र हिर्री लाया गया और पहुंचने के पश्चात् प्रथम सूचना पत्र दर्ज की गई जप्तशुदा वस्तुएं अर्थात जप्तशुदा गांजा के दो पैकेट और 50 ग्राम के दो नमूने प्रधान आरक्षक एतवा कूजुर को प्र.पी. 2 के ज्ञापन के साथ मालखाने में सुरक्षित रखने हेतु सुर्पुद किया गया। दिनांक 12/10/1994 को जप्ती एवं गिरफ्तारी की सूचना पत्र क्र. 14 के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कोटा को प्रेषित की गई। जप्तशुदा गांजे के नमूने को विधि विज्ञान प्रयोगशाला को रसायनिक परीक्षण हेतु पुलिस अधीक्षक के ज्ञापन प्र.पी. 8 के द्वारा प्रेषित किया गया, जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला में प्राप्त हुआ जिसकी प्राप्ति पावती प्र.पी. 9 है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन (प्र.पी.11 के ज्ञापन) प्र.पी. 10 के साथ प्राप्त हुई। विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन में सकारात्मक परिणाम था कि लिए गए नमूने गांजा थे।

3) विवेचना संपूर्ण होने के पश्चात् आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 20 (ख) (i) एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए। अपीलार्थी ने आरोप अस्वीकार किया तथा निर्दोष होना कहा।

4) अभियोजन पक्ष ने अपना प्रकरण सिद्ध करने के लिए 4 साक्षियों अर्थात् बी.एल.पाण्डेय (अ.सा.1), रवि शंकर (अ.सा.2), शिव कुमार तिवारी (अ.सा.3), एवं आर.के. राय (अ.सा.4) का परीक्षण कराया है। अपीलार्थी ने अपने बचाव में बचाव साक्षी दशरथ (बचाव साक्षी क्र. 1) का परीक्षण कराया है अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत साक्ष्य के संबंध में पूछताछ कर धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का कथन दर्ज किया गया । धारा 20 (ख) अपीलार्थी ने स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फसाया जाना व्यक्त किया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय एवं दण्डादेश के अवलोकन से अपीलार्थी को धारा 20 (ख) एन.डी.पी. एस. के अंतर्गत अपराध करने का दोष सिद्ध कर उसे सामान्य चूक के साथ दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्ध एवं दण्डादेश की वैधता पर प्रश्न उठाते हुए विस्तार से तर्क किया है कि अपेक्षित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का निर्णय विधिक दृष्टि से स्थिर नहीं है क्योंकि एन.डी.पी.एस. धारा 50 की आज्ञापक आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया है। यह भी तर्क किया कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि अपीलार्थी की तलाशी लेने के पूर्व उससे यह पूछा गया कि उसे राजपत्रित अधिकारी या न्यायाधीश द्वारा तलाशी कराना चाहता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि धारा 42 (2) एन.डी.पी.एस. अधिनियम

के अंतर्गत आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन है क्योंकि गांजा आने की सूचना मिलने के पश्चात् जिसके संबंध में यह कथन किया गया है कि रोजनामचा सान्हा क्र. 307 दिनांक 11.10.1994 (प्र.पी.5) में अभिलिखित किया गया परन्तु उसकी एक प्रतिलिपि तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को प्रेषित नहीं की गई है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि धारा 55 एवं 57 एन.डी.पी.एस.अधिनियम में नीहित आज्ञापक उपबंध का गंभीर उल्लंघन हुआ है कथित इस तथ्य का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अपीलार्थी से कथित जप्त की गई सामग्री सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई थी, न ही उन्हें विधिवत् सीलबंद किया गया था तथा न ही पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की कोई मुहर भी विद्यमान थी एवं इसके अतिरिक्त गिरफ्तारी एवं जप्ती का प्रतिवेदन तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को 48 घंटे की समयावधि में नहीं भेजी गई थी। गिरफ्तारी एवं जप्ती के विवरणों का प्रतिवेदन भी प्रेषित नहीं किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया की जप्त की गई प्रतिबंधित वस्तुओं को न तो साक्ष्य सामग्री के रूप में चिन्हांकित किया गया है और न ही उन्हें विचारण समय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन पक्ष का संपूर्ण प्रकरण अत्यंत संदेहास्पद प्रतीत होता है तथा इसमें कोई विश्वसनीयता नहीं है क्योंकि इस तथ्य का कोई प्रत्यक्ष अथवा प्रमाणिक साक्ष्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं है कि जप्त किए गए सीलबंद नमूनों को पुलिस थाने के मालखाने में जमा किए गए थे और न ही मालखाना रजिस्टर प्रस्तुत किया है, एवं न ही उसमें जमा की कोई प्रविष्टि अंकित है, और न ही मालखाना मोहरिर का उसके संबंध में कोई परीक्षण कराया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके की जप्त की गई वस्तुएं प्राप्त की थी। मालखाना रजिस्टर के अभाव तथा मालखाना मोहरिर से परीक्षण न करने का कोई संतोषजनक स्पष्टिकरण भी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी तर्क किया गया कि दिनांक 12.10.1994 को जप्ती की गई तथा नमूने उसी दिन तैयार कर जमा किए गए, उक्त नमूने को दिनांक 10.11.1994 को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजे गये तथा जिस आरक्षक ने कथित रूप से मालखाने से नमूने प्राप्त किए थे एवं उन्हें विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा किया था, उसका भी अभियोजन की ओर से साक्ष्य के रूप में परीक्षण नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में कोई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्पष्टिकरण दिया है। अभियोजन यह भी सिद्ध करने में असफल रही है कि प्रतिबंधित वस्तु को जप्त की थी, जप्ती के साक्षियों ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया, जांच अधिकारी (प्र.पी. 4) के साक्ष्य में अभिलेखी एवं भौतिक तथ्यों के संबंध में पुष्टि नहीं है, इसलिए दोषसिद्धि आदेश विधिसंमत नहीं होने से अस्थिर एवं अवैध प्रतीत होता है।

6) राज्य शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं ने अक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए अपीलार्थीगण से प्रतिबंधित वस्तु गांजा जप्त करने का प्रकरण अभियोजन पक्ष ने सिद्ध कर दिया है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अभिलेखों एवं अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि धारा 42 (2), 50, 55 एवं 57 एन.डी.पी.एस. अधिनियम में आज्ञापक प्रावधानों का पूर्ण और प्रयाप्त अनुपालन किया गया है। प्रतिबंधित वस्तु को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में संदेह से परे यह सिद्ध कर दिया कि जप्त की गई वस्तु गांजा था। अन्वेषण अधिकारी द्वारा एवं वरिष्ठ अधिकारी को भी सूचित किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7) मैनें पक्षकार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अभिकथनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

8) इस अपील में प्रथम विचारणीय प्रश्न यह है कि प्रस्तुत प्रकरण में धारा 50 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के प्रावधान आकर्षित होते है, और यदि हां, तो क्या तलाशी के संबंध में धारा 50 में आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। धारा 50 एन.डी.पी.एस. अधिनियम में निहित प्रावधान आज्ञापक है और इनका अनुपालन न करने पर विचारण निर्रथक हो जाता है। यह स्थापित विधि है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **बलबीर सिंह विरूद्ध पंजाब राज्य**[1] के

1 (1994) 3SCC 299

प्रकरण में अभिर्निधारित किया गया है, जिसका अनुसरण **पंजाब राज्य विरूद्ध बलदेव सिंह**[2]के प्रकरण में और निर्णयों की श्रृखंला में किया गया है।

9) आर.के.राय (अ.सा.4) अन्वेषण अधिकारी ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि ग्राम सम्बलपुरी के निकट गांजा लाए जाने की सूचना प्राप्त होने पर दो गवाह शिव कुमार तिवारी एवं रवि शंकर के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, लगभग 12:40 बजे दो व्यक्ति सायकल पर आते हुए दिखाई दिए तथा अपीलार्थी को सड़क पर रोक कर गांजा की अवैध कब्जे की सूचना मिलने पर तलाशी ली जानी है, क्या वह तलाशी मेरे या राजपत्रित अधिकारी या दण्डाधिकारी द्वारा करवाना चाहता है, अपीलार्थी ने अभियोजन साक्षी 4 द्वारा तलाशी लिए जाने हेतु अपनी सहमति दी थी। आर.के. राय (अ.सा.4) द्वारा तलाशी की सूचना प्र.पी.7 को सिद्ध किया है। आर.के. राय (अ.सा.4) द्वारा उक्त सूचना पत्र में तलाशी लिए जाने हेतु अपीलार्थी की सहमति के संबंध में उसका पृष्ठाकंन अंकित किया है उक्त बिन्दुओं पर दिए गए साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण में कोई खण्डन नहीं किया गया है। इसलिए धारा 50 के अनुपालन के संबंध में अभियोजन के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अभियोजन पक्ष के कथानुसार वर्तमान प्रकरण में सायकल में रखे थैले से प्रतिबंधित गांजा जप्त किया गया था, न कि अभियुक्त व्यक्ति (शरीर) से बरामद किया गया था, धारा 50 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते है एवं तदानुसार अपीलार्थी को यह तर्क करने की अनुमति नहीं दी जा सकती की धारा 50 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के उल्लंघन के आधार पर दोषसिद्धि निष्प्रभावी है। धारा 50 एन.डी.पी.एस. अधिनियम में प्रयुक्त शब्द व्यक्ति का तात्पर्य उस उस व्यक्ति से है जिसकी शारीरिक रूप से तलाशी ली जानी है अथवा जिस व्यक्ति की तलाशी ली जानी है I

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10) इसके अतिरिक्त, वर्तमान प्रकरण यह नहीं है कि जहां मादक पदार्थ किसी व्यक्ति के शरीर से जप्त की गई हो। जैसे अभियुक्त के शरीर से, उसके आधिपत्य से, उसके हाथ से अथवा उसके

---

2 AIR 1999 SC 2378

शरीर से बंधी कोई वस्तु से जप्त की गई है। धारा 50 एन.डी.पी.एस. अधिनियम केवल उन्ही परिस्थितियों में लागू होगी जहां किसी व्यक्ति की तलाशी ली जाती है जैसा की माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **बलदेव सिंह** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में प्रतिपादित किया गया है। **कलेमा तुम्बा विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य**[3] के प्रकरण में अभियुक्त द्वारा कथित रूप से थैले में रखे हुए मादक वस्तु पाए जाने पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि वह एक ऐसा प्रकरण था जहां मादक वस्तु अभियुक्त व्यक्ति के आधिपत्य से बरामद नहीं किया गया था। यह प्रतिपादित किया गया कि वह ऐसा प्रकरण नहीं था जहां मादक वस्तु अभियुक्त व्यक्ति से प्राप्त हुआ हो तथा धारा 50 आकर्षित नहीं होती है। सरजु दास एवं अन्य विरूद्ध **गुजरात राज्य**[4] के प्रकरण में मादक पदार्थ अभियुक्त व्यक्ति से प्राप्त नहीं हुआ था परन्तु स्कूटर में रखे थैले से प्राप्त हुआ था, जिसे अभियुक्त चला रहा था। यह निर्धारित किया गया कि यह ऐसा प्रकरण नहीं था जहां अभियुक्त व्यक्ति (शरीर) की तलाशी ली गई हो, उसके व्यक्तिगत आधिपत्य से मादक वस्तु प्राप्त की गई हो। **कन्हैय्यालाल विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य**[5] के प्रकरण में अभियुक्त व्यक्ति से अफीम प्राप्त नहीं हुई थी, अपितु वह उसके पास रखे थैले से बरामद हुई थी। उक्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया कि, यह प्रकरण ऐसा नहीं था जहां अभियुक्त की शरीर की तलाशी लेने पर कोई मादक द्रव्य या मन:प्रभावी पदार्थ प्राप्त किया गया हो, अतएव एन.डी.पी.एस. अधिनियम के कथित उल्लंघन के आधार पर विचारण को दोषपूर्ण ठहराया नहीं जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा धारा 42 (2) 1985 के अधिनियम में अज्ञापक प्रावधान के अनुपालन के संबंध में किए गए तर्क पर मैं विचार करूंगा। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि गांजा के आने के संबंध में एक सूचना थाना प्रभारी अधिकारी को प्राप्त हुई थी

---

3 2000 Cr.L.R. SC 38 : (1999) 8 SCC 257

4 2000 Cr.L.J.509: 1999 (3) SCC 508

5 2001 2EFR 10SC: (2000) 10 SCC 380

तथा दिनांक 11.10.1994 को दोपहर पूर्व 11:05 बजे। रोजनामचा सान्हा क्र. 307 के अंतर्गत लिखित रूप से दर्ज किया गया, जिसे प्र.पी. 5 के रूप में अंकित किया गया।

आर.के.राय (अ.सा.4) अन्वेषण अधिकारी अपने साक्ष्य में यह कथन किया कि ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। यह भी कथन किया है कि आगामी तिथि अर्थात् 12/10/1994 को आरक्षी केन्द्र प्रभारी ने रोजनामचा सान्हा क्र. 323 में लिखित रूप में सूचना दर्ज की, कि गांजा आने की सूचना प्राप्त हुई थी एवं थाना प्रभारी को तत्काल ग्राम संबलपुरी आने हेतु सूचित किया गया था। उक्त सूचना रोजनामचा सान्हा में दर्ज की गई जो प्र.पी. 6 है एवं अन्वेषण अधिकारी (अ.सा.4) ने अपने साक्ष्य

में कथन किया है कि सूचना प्राप्त होने पर रोजनामचा सान्हा में अभिलिखित की गई थी जिसके पश्चात् वह छापे हेतु घटना स्थल की ओर रवाना हुआ। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अन्वेषण अधिकारी (अ.सा.4) द्वारा ग्राम संबलपुरी में गांजा आने के संबंध में लिखित सूचना दर्ज करने के आधार पर थाना प्रभारी अधिकारी के लिए यह बाध्यकारी एवं अनिवार्य था कि वह तत्काल उसकी एक प्रति अपने निकटतम वरिष्ठ अधिकारी को प्रेषित करे, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है। यह भी तर्क किया है कि धारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

42 (2) एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अज्ञापक अनिवार्य प्रावधान का अनुपालन करने के कारण

अपीलार्थी के विरूद्ध विचारण एवं दोषसिद्धि पूर्णतः अमान्य है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने

अपने तर्क के समर्थन में **राजस्थान राज्य विरूद्ध शान्ति[6] , राजस्थान राज्य विरूद्ध बाबूलाल[7],**

---

6 EFR 2010 (1) 243

7 EFR 2010 (1) 442

बलेदव सिंह (पूर्वोक्त), **अब्दुल रशीद इब्राहिम मन्सूरी विरूद्ध गुजरात राज्य[8], नर्मदा प्रसाद विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य[9]** के प्रकरण में दिए गए निर्णयों का अवलंबन लिया गया है।

12) यह उल्लेखनीय है कि कथित अपराध जिस समय घटित होने कहा गया है, उस समय धारा 42 अधिनियम क्र. 9 वर्ष 2001 के द्वारा किए गए संशोधन के पूर्व इस प्रकार था।

> धारा 42 वारंट या प्राधिकार के बिना प्रवेश तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी की शक्ति- (1) किसी आरक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मादक द्रव्य, सीमा शुल्क, राजस्व, आमसूचना अथवा केन्द्र सरकार के किसी अन्य विभाग या सीमा सुरक्षा बल का ऐसा कोई अधिकारी (जो पंक्ति में चपरासी, सिपाही या आरक्षक से उच्च पद का अधिकारी हो), जिसे केन्द्र सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस नियमित सशक्त किया गया हो, अथवा राज्य सरकार के राज्य, औषधि नियंत्रण, आबकारी, पुलिस या किसी अन्य विभाग का ऐसा कोई अधिकारी (जो पंक्ति में चपरासी, सिपाही या आरक्षक से उच्च पद का अधिकारी हो), जिसे राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस नियमित सशक्त किया गया हो, यदि उसे व्यक्तिगत ज्ञान से अथवा किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखित रूप में अभिलिखित की गई सूचना से यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई मादक द्रव्य या मनः प्रभावी पदार्थ, जिसके संबंध में अध्याय IV के अधीन दंडनीय कोई अपराध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8 AIR 2000 SC 821

9 2001 C.G.L.J.306

किया गया है, अथवा कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध के किए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती हो, किसी भवन, वाहन या संलग्न स्थान में रखी या छिपाई गई है, तो वह सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य, -

क) किसी ऐसे भवन, वाहन या स्थान में प्रवेश करना और तलाशी लेना

ख) प्रतिरोध की स्थति में दरवाजे को तोड़कर प्रवेश में आने वाली किसी अवरोध को दूर कर तलाशी लेना

ग) ऐसी औषधि या वस्तु तथा उसके निर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्री तथा किसी वस्तु और कोई पशु या वाहन को जप्त कर जिसके विषय में उसे विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अंतर्गत जप्ती योग्य है तथा कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जिसके विषय में उसे विश्वास है कि वह ऐसी औषधी या वस्तु से संबंधित अध्याय IV के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य अभिग्रहित करना।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

घ) किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि उसने ऐसी औषधि या वस्तु से संबंधित अध्याय IV के अंतर्गत दण्डनीय कोई अपराध किया है, उसे अभिरक्षा में लेकर तलाशी लेना और उचित समझे तब गिरफ्तार करना।

परन्तु यदि ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि तलाशी वारंट या प्राधिकार साक्ष्य को छिपाने का अवसर या अपराध के पलायन की सुविधा दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता तब वह अपने विश्वास के आधार को अभिलिखित करने के पश्चात सूर्यास्त और सूर्योदय के मध्य किसी भी समय ऐसे भवन, वाहन या संलग्न स्थान में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है।

2) जहां कोई अधिकारी उपधारा (1) के अतर्गत किसी सूचना को अभिलिखित करता है अथवा उसके परन्तुक के अधीन अपने विश्वास के कारणों को अभिलिखित करता है तब वह उसकी एक प्रतिलिपि अविलंब अपने निकटतम वरिष्ठ उच्च अधिकारी को प्रेषित करेगा।

पूर्वोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि इसके लागू होने के लिए जहां उसमें उल्लेखित स्थान में प्रवेश एवं तलाशी सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य या सूर्यास्त या सूर्योदय के मध्य की जाती है, ऐसा स्थान कोई भवन, वाहन या संलग्न स्थान होना चाहिए। धारा 42 में प्रयुक्त शब्द भवन या संलग्न स्थान को परिभाषित किया है, धारा 42 (1) के मुख्य भाग में ''प्रयुक्त अभिव्यक्ति यदि उसे व्यक्तिगत ज्ञान से या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना, जो । लिखित रूप से ली गई है," से सुसंगत है उक्त दोनों अभिव्यक्तियों को एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि धारा 42 में अंर्तवृष्टि प्रावधान तलाशी के उन मामलों में लागू होगा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिनमें:-

(क) अधिकारी को अपने स्वयं के व्यक्तिगत ज्ञान से अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे प्रदत्त सूचना से और ऐसी सूचना उसके द्वारा लेखबद्ध की गई है, यह विश्वास करने का कारण विद्यमान है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध कारित किया गया है तथा:-

(ख) ऐसे अपराध का पता लगाने के लिए किसी भवन, या संलग्न स्थान में प्रवेश कर तलाशी की जानी है।

13) धारा 42 के संवैधानिक योजना के प्रकाश में दो सूचनाओं प्र.पी. 5 और प्र.पी. 6 एवं आर. के. राय. (अ.सा. 4) अनवेषण अधिकारी के साक्ष्य का परीक्षण किया जाए तब यह नहीं कहा जा सकता की अभिलिखित की गई सूचना ऐसी थी कि स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ या

नियंत्रित पदार्थ जिसके संबंध में एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत् कोई दण्डनीय अपराध किया गया है, कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु ऐसे अपराध किए जाने के साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है या अवैध रूप से अर्जित संपत्ति तथा कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की धारणा करने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है जो अधिनियम के अध्याय V क के अंतर्गत जप्त कर अभिग्रहण करने के लिए उत्तरदायी है, किसी भवन या संलग्न स्थान पर रखी या छिपाई गई है। आरक्षी केन्द्र में प्रभारी अधिकारी को प्राप्त दोनों सूचनाएं ग्राम संबंलपुरी में गांजा आने के संबंध में है। अभियोजन पक्ष का यह प्रकरण है कि अभियुक्त को सड़क पर सायकल से आते समय उसे रोका गया एवं तलाशी उपरांत सायकल में रखे थैले से गांजा के दो पैकट निकालकर जप्त किए गए। यह सार्वजनिक मार्ग पर जप्ती का प्रकरण है तदानुसार यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि ऐसी सूचना का प्रकरण था कि अभियुक्त अपने साथ गांजा, परिवहन कर रहा था, या किसी नामित भवन एवं विनिर्दिष्ट वाहन या संलग्न स्थान में संरक्षित या सीलबंद किया गया था, आरक्षी केन्द्र में जो एक मात्र सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम संबलपुरी में अवैध गांजे का व्यापार हो रहा है। उस क्षेत्र में छापा मारने वाला दल पहुंचा और अभियुक्त व्यक्ति को सार्वजनिक सड़क पर गांजा ले जाते समय अवरोधित किया गया था। ऐसी स्थति में न्यायालय की यह धारणा है कि धारा 42 (2) का प्रावधान आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि प्र.पी.5 एवं प्र.पी. 6 में अंतरवृष्टि सूचना को धारा 42 (1) एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत योजनाबद्ध पूर्व सूचना नहीं माना जा सकता। **पोथीरेड्डी शिव प्रसाद राव विरूद्ध आध्रप्रदेश राज्य**[10] के प्रकरण में चेक पोस्ट पर कार्य पर तैनात अधिकारी को गांजा एवं अन्य प्रतिबंधित सामग्री के परिवहन के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। यह सूचना ऐसी नहीं थी कि कोई विशिष्ट व्यक्ति परिवहन कर रहा है और न ही ऐसी सूचना थी कि सड़क पर चलने वाली किसी विशेष बस में किया जा रहा है। **मोनादास विरूद्ध पश्चिम**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10 **2001 (2) CRIMES 359**

बंगाल राज्य'[11] के प्रकरण में अभियुक्त की तलाशी, जप्ती तथा गिरफ्तारी सार्वजनिक मार्ग पर की गई थी। **चुन्नीलाल विरूद्ध राजस्थान राज्य**[12] के प्रकरण में चौराहे पर तलाशी ली गई थी।

पूर्वोक्त सभी प्रकरणों मे यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 42 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते है।

14) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उस प्रकरण के निर्णय पर भरोसा किया है कि धारा 42 (1) एन.डी.पी. एस. अधिनियम के अंतर्गत जो सूचना पूर्व सूचना के समान प्रकृति कि थी, जो वर्तमान प्रकरण में नहीं है। अतः वे निर्णय वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर स्पष्ट रूप से भिन्न है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसलिए मैं याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हूं कि धारा 42 (2) एन.डी.पी.एस. अधिनियम में नीहित आज्ञापक प्रावधान का उल्लंघन किया गया है अथवा यह विचारण तथा अपीलार्थी की अंतिम दोषसिद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

15) जहां तक अधिनियम की धारा 57 में निहित सिद्धांत के कथित उल्लंघन के संबंध में तर्क का प्रश्न है इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। दिनांक12.10.1994 आर.के.राय अनवेषण अधिकारी (अ.सा.4) द्वारा दिए गए साक्ष्य को ग्राम संबलपुरी के निकट सड़क पर गांजा जप्त किया गया तत्पश्चात् तलाशी ली गई और जप्ती की गई देहाती नालिशि अभिलिखित की गई एवं गांजा सीलबंद किया गया, प्रथम सूचना रिपोर्ट, धारा 50 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अनुपालन से संबंधित

---

11 **1995 CR.L.J. 2990**

12 **2000 CR.L.J. 2355 (Raj)**

अन्य दस्तावेज जप्त किए गए, जप्त किए गए दस्तावेज, जप्त की सायकल तथा अभियुक्त्/ अपीलार्थी को प्रधान आरक्षक ललन सिंह के माध्यम से आरक्षी केन्द्र हिर्री भेजा गया तत्पश्चात् दिनांक 13.10.1994 को रोजनामचा सान्हा क्र. 357 (प्र.पी.13) में अपनी वापसी अभिलिखित की एवं उससे पूर्व भी जप्ती तथा गिरफ्तारी की लिखित सूचना उपखण्ड अधिकारी (पुलिस) कोटा को प्र.पी.14 के माध्यम से दी गई। प्र.पी.14 की विषय वस्तु दर्शाती है कि थाना प्रभारी ने उपखण्ड अधिकारी (पुलिस) को सूचित किया कि सूचना प्राप्त होने पर अपीलार्थी से 4 किलो गांजा संबलपुरी सड़क पर जप्त किया गया तथा घटना स्थल पर अपराधकारित करने का प्रकरण अभिलिखित किया गया। उक्त सूचना आर.के.राय (अ.सा.4) द्वारा प्रमाणित की गई जो उनके द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरित है, उक्त सूचना पर उसी दिनांक को उपखण्ड अधिकारी (पुलिस) कोटा द्वारा पृष्ठांकन अंकित कर अपना हस्ताक्षर किया। अनवेषण अधिकारी के उपरोक्त् साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण में खण्डन नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसलिए **नारायण स्वामी रविशंकर विरूद्ध सहायक निर्देशक, राजस्व आमसूचना निदेशालय**[13] के प्रकरण में प्रदत्त निर्णयों का अवलंबन लेते हुए मेरे मतानुसार धारा 57 एन.डी.पी.एस. अधिनियम में निहित प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन हुआ है।

---

13 **2003 CRI.L.J.27**

16) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया है कि चूंकि रविशंकर (अ.सा.2) तथा शिव तिवारी (अ.सा.3) स्वतंत्र साक्षियों द्वारा जप्ती सिद्ध नहीं की गई है, अतः जप्ती स्वयं अत्यंत संदिग्ध है कोई दोषसिद्धि स्थिर नहीं रखी जा सकती विशेषकर जब आर.के. राय (अ.सा.4) अनवेषण अधिकारी का कथन विश्वसनीय नहीं है एवं मामले के अन्य प्रकरण की परिस्थितियों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। विद्वान अधिवक्ता ने **जगदीश विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य**[14]**, रितेश चक्रवर्ती विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य**[15]**,** के प्रकरणों में दिए गए निर्णयों का संदर्भ दिया है।

वर्तमान प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी से प्रतिबंधित गांजा की जप्ती के स्वतंत्र साक्षियों अ.सा.2 तथा अ.सा.3 के रूप में प्रस्तुत किया है। रविशंकर (अ.सा.2) ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है तथा उसे पक्ष विरोधी घोषित किया गया है यद्यपि उसने जप्ती पत्र प्र.पी.2 तथा तलाशी पंचनामा प्र.पी.3 में अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार कि किया है। उसने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि पुलिस निरीक्षक ने उसे बताया कि गांजा जप्त किया है अतः उसने दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर किए। उसने अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को अस्वीकार किया है कि वह पुलिस दल के साथ गया था जप्ती उसकी उपस्थिति में कि गई थी शिव कुमार तिवारी (अ.सा.3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि, उसकी उपस्थिति में न तो कोई तलाशी ली गई और न ही कोई जप्ती की गई, तथा उसे पक्ष विरोधी घोषित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

14 **(2003) 9 SCC 159**

15 **2006 Cr.L.R. (SC) 874**

अपने प्रतिपरीक्षण में उसने कथन किया है कि उसने प्र.पी. 2 एवं प्र.पी.3 को बिना पढ़े एवं समझे, रात्रि में उसके हस्ताक्षर लिए गए थे। जब उसे इस तथ्य से अवगत कराया गया कि मिथ्या साक्ष्य देना एक अपराध है तत्पश्चात् उसने कथन किया कि अभियुक्त द्वारा उसे धमकी दी गई है यदि उसके विरूद्ध कुछ बोलोगे तो हत्या कर दी जायेगी, इसलिए वह सत्य तथ्य बताने में असमर्थ है। तत्पश्चात उसने तलाशी तथा जप्ती एवं तैयार किए गए नमूनों के संबंध में अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन करते हुए कथन किया है।

आर.के. राय (अ.सा.4) अनवेषण अधिकारी ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि उसने अपीलार्थी की तलाशी ली थी तत्पश्चात् प्रतिबंधित वस्तु जप्त किया था। जप्ती के संबंध की वास्तविकता पर उसके साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रितेश चक्रवर्ती (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रकरण में स्वतंत्र व्यक्ति कि उपस्थिति में प्रतिबंधित वस्तु की जप्ती महत्व रखती है। जप्ती के दोनों साक्षी पक्ष विरोधी हो गए थे। जगदीश (पूर्वोक्त) के प्रकरण में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए तथा अन्य विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया गया। जगदीश (पूर्वोक्त) के प्रकरण में जप्ती के स्वतंत्र साक्षी पक्ष विरोधी हो गए थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित नहीं होगा कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध कर दिया। राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि

यदि पंचसाक्षी समर्थन न करें तब भी दोषसिद्धि स्थिर रखी जा सकती है, जहां जप्ती प्राधिकारी द्वारा जप्ती सिद्ध की जाती है।

पी.पी. फातिमा विरूद्ध केरल राज्य[16], के प्रकरण में दिए गए निर्णय पर इस न्यायालय के मतानुसार आर.के. राय (अ.सा.4) जप्ती प्राधिकारी, शिवकुमार तिवारी (अ.सा.3) जप्ती के संबंध में दी गई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए, पी.पी. फातिमा (पूर्वोक्त) तथा जगदीश (पूर्वोक्त) के प्रकरण में तथ्यात्मक पक्ष एवं परिस्थितियां भिन्न थी।

17) यह कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया है कि इस पर विचार किया जाना आवश्यक है कि जप्त की गई वस्तुओं तथा नमूनों को जो धारा 55 एन.डी.पी.एस. एक्ट अधिनियम के अंतर्गत रासायनिक विशेषण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजे गये थे सुरक्षित अभिरक्षा से संबंधित है, का उल्लंघन हुआ है तथा अनेक विसंगतियां है जो यह अत्याधिक संदेहास्पद बनाती है कि जप्त की गई वस्तुएं तथा नमूने सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गये थे। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आरक्षी केन्द्र प्रभारी (अ.सा.4) जो इस प्रकरण में अनवेषण अधिकारी है, ने नमूने पर अपनी मुहर लगाने के स्थान पर आरक्षी केन्द्र की मुहर से नमूना सील किया जाना व्यक्त किया है। यद्यपि उनके पास अपनी व्यक्तिगत मुहर थी तथा वैधानिक आदेश का पालन न करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि जप्त मादक पदार्थ को वस्तु के रूप में चिन्हित नहीं किया गया और न ही उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने यह भी तर्क किया कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि नमूने पर लगी मुहर नमूने के साथ मालखाने में जमा की गई थी, और न ही मुहर के मिलान हेतु अलग से मुहर के नमूने को विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजे जाने का कोई प्रमाण है। उन्होंने यह भी तर्क किया है कि इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि एफ.एस.एल की रिपोर्ट में मुहर की मिलान

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16 **(2003) 8 SCC 726**

की गई थी। यह भी तर्क है कि श्रृंखला साक्ष्य पूर्णतः अनुपस्थित है, क्योंकि न तो सील पैकेट, नमूने और सील जमा करने के संबंध में प्रमाण के रूप में मालखाना रजिस्टर पेश किया गया है और न ही अभियोजन पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत की गई है।

और न ही वह व्यक्ति जिसके द्वारा नमूना रसायनिक परीक्षण हेतु लिया गया है, साक्षी के रूप में परीक्षण किया गया है। यह भी तर्क किया है कि मुहर को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है यह भी तर्क किया गया कि मालखाना मोहर्रिर को भी साक्षी के रूप में परीक्षण नहीं कराया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि नमूने को पेश करने में विलंब हुआ था, उनका यह भी तर्क है कि नमूने को सीलबंद सुरक्षित अभिरक्षा से संबंधित इन समस्त विसंगतियों का संचयी प्रभाव यह है कि अभियोजन प्रकरण अत्याधिक संदेहास्पद हो जाता है, जिसका लाभ अपीलार्थी अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। उन्होंने **नूर आगा विरूद्ध पंजाब राज्य एवं अन्य**[17]**, राजस्थान राज्य विरूद्ध दौलतराम**[18]**, राजस्थान राज्य विरूद्ध गुरमेल सिंह**[19] **एवं रेमगुल उर्फ रेमुलाल आत्मज नूरगुल एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य**[20] अवलोकनीय है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18) अभियोजन पक्ष द्वारा (अ.सा.4) आरक्षी केन्द्र प्रभारी जो अनवेषण अधिकारी थे उन्होंने मादक पदार्थ जप्त किया था, को साक्षी के रूप में परीक्षण किया गया है उन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि जप्त गांजा को आरक्षी केन्द्र की मुहर से सीलबंद किया गया था। अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उनके पास अपने नाम की मुहर है। धारा 55 का आज्ञापक आदेश है कि आरक्षी केन्द्र प्रभारी नमूने को अपने स्वयं के मुहर से सीलबंद करें।

---

17 **2008 AIR SCW 5964**

18 **AIR 1980 SC 1314: (1980) 3 SCC 303**

19 **I (2005) CCR 228 (SC)**

20 **2003 Cr.L.R.(M.P.) 26**

आर.के.राय (अ.सा.4) ने अपने प्रतिपरीक्षण में अभियोजन साक्षी की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत अपेक्षित अपनी मुहर क्यों नहीं लगाई, क्योंकि प्रतिपरीक्षण में दिया गया सुझाव महत्वपूर्ण हो जाता है कि घटना रात्रि में किसी अन्य स्थान में हुई थी तथा अभियुक्त को आरक्षक के साथ आरक्षी केन्द्र भेजा गया था और अनवेषण अधिकारी सकारी गये, जहां साक्षियों के हस्ताक्षर लिये थे।

1985 अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र प्रभारी को समस्त जप्त वस्तुओं को अभिरक्षा में लेने तथा उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखना दायित्व होता है अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत वैधानिक व्यवस्था के अनुसार आरक्षी केन्द्र प्रभारी को समस्त नमूने को अपनी स्वयं की मुहर से सीलबंद करना आवश्यक है। इस अधिनियम के अंतर्गत संबंधित आरक्षी केन्द्र के सर्वोच्च अधिकारी की सुरक्षा में रखने हेतु, निष्पक्ष अनवेषण सुनिश्चित किया जाये ताकि जप्त नमूना रसायनिक परीक्षक के पास पहुंचने तक उसके साथ छेड़छाड़ की संभावना को समाप्त किया जा सके। धारा 55 में समाविष्ट थाना प्रभारी पर ऐसा दायित्व है कि जिसका प्रत्यक्ष उद्देश्य यह है कि वरिष्ठ अधिकारी निष्पक्ष अन्वेषण में संलग्न रहेंगे तथा संदिग्ध आचरण से दूर रहें, इस पर विश्वास किया जा सके। निर्धारित प्रक्रिया का परित्याग किये जाने पर संदेह उत्पन्न होता है विशेष रूप से वर्तमान प्रकरण में थाना प्रभारी/थाना अध्यक्ष ने स्वयं वस्तुओं की जप्ती की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19) एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा में नीहित उपबंधों का उद्देश्य एवं लिये गये नमूने के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना को पूर्णतः निषिद्ध करना है क्योंकि अधिनियम के अधीन अपराध हेतु अत्यंत कठोर दण्डात्मक उपबंध अधिरोपित किये गये है। अतः नमूने की शुद्धता को अभियोजन पक्ष द्वारा सुसंगत एवं व्यापक साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

20) अभियोजन प्रकरण में अन्य विसंगति यह है कि मालखाने में मुहर जमा करने के संबंध में अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है। यद्यपि बी.एल. पाण्डे (अ.सा.1) ने कथन

किया है कि मुहर बंद अवस्था में जप्त वस्तुओं को श्री एटवा कुजूर प्रधान आरक्षक मुहर्रिर को मालखाने में सुरक्षित पत्र प्र.पी. 2 के ज्ञापन के साथ सौंपा गया था तथापि उन्होंने यह कथन नहीं किया है कि मुहर के नमूने के साथ मालखाने में जमा की गई थी। अभियोजन ने न तो मुहर का नमूना तथा जप्त वस्तुओं के जमा होने के प्रमाण हेतु मालखाना रजिस्टर से संबंधित प्रविष्टियां प्रस्तुत की, न ही जप्तशुदा वस्तु एवं नमूनों को सौंपने के संबंध में मालखाना मोहर्रिर का ही परीक्षण कराया है। प्र.पी. 2 में भी मुहर को सुरक्षित अभिरक्षा में जमा किये जाने के संबंध में कोई प्रविष्टियां नहीं है।

21) आर.के.राय (अ.सा.4) अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि जप्त गांजे के नमूने रसायनिक परीक्षण हेतु पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के ज्ञापन दिनांक 10.11.1994 के द्वारा प्रेषित किया गया था। मालखाने से नमूनों को लेकर रसायनिक परीक्षण में जमा करने वाले अधिकारी का परीक्षण नहीं कराया गया है। प्र.पी. 8 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सील के नमूने सहित भेजने का उल्लेख नहीं है। कुमार सिंह आरक्षक क्र. 729 का नाम अंकित है, आरक्षक द्वारा सील के साथ जमा किये जाने के नमूना के प्राप्ति पावती प्र.पी. 9 के रूप में प्रदर्शित की गई है। यह सील वस्तु ए एवं बी सील सहित प्राप्त होने का उल्लेख है। प्र.पी. 11 के प्रतिवेदन में रसायनिक परीक्षण हेतु प्रेषित नमूने पर लगी सील की नमूने सहित प्रेषित पृथक मुहर से करने का कोई उल्लेख नहीं है। अभियोजन के द्वारा आरक्षक कुमार सिंह का परीक्षण नहीं कराया है और न ही विशलेषण किया गया। यद्यपि यह कि धारा 293 में आज्ञापक प्रावधान के अंतर्गत विशलेषक का परीक्षण आवश्यक नहीं है तथापि वर्तमान प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों में जहां मुहर के नमूने सहित तुलना हेतु भेजने की कोई साक्ष्य नहीं है तथा ऐसी तुलना की गई जिसमें रसायनिक परीक्षण के लिए भेजे गये नमूने अपीलार्थी से जप्त वस्तु ही थे, इसकी पहचान हो ऐसा पक्ष महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे प्रमाण की अनुपलब्धता प्रासंगिक विचारण बन जाती है। वस्तुतः अभियोजन ने श्रृंखला साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि मालखाना मोहर्रिर ने नमूना किसे सौंपा, विद्वान न्यायालय के आदेश से मुहर का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय में प्रस्तुत होना नहीं पाया जाता है। जबकि दिनांक 12.10.1994 जप्त गांजा मालखाने में जमा किया गया था। इसके लगभग एक माह पश्चात् रसायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया था।

22) बी.एल.पाण्डेय (अ.सा.1) अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसके द्वारा प्राप्त वस्तु पर आरक्षी केन्द्र की मुहर लगी हुई थी और उस पर अन्य कोई सील अंकित नहीं थी। एक और स्पष्ट विसंगति है अभियोजन पक्ष ने शिव कुमार तिवारी (अ.सा.3) द्वारा वस्तुओं की जप्ती और नमूने को सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया गया है, ने न्यायालय में वस्तु और नमूनों को प्रस्तुत किये जाने का कथन किया कि नमूने को वस्तु ब और स के रूप अंकित किया गया था और सीलबंद किया गया था, परन्तु प्र.पी. 10 और प्र.पी. 11 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वस्तुओं को अ और ब के रूप में उल्लेख किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सील लगाने, वस्तुओं की अभिरक्षा, रसायनिक परीक्षण को नमूने भेजने तथा रसायनिक परीक्षण के संबंध में उपर्युक्त गंभीर विसंगतियों का संचयी प्रभाव, इन न्यायालय की सुविचिरित नमूने के सुरक्षित अभिरक्षा के संबंध में धारा 55 एन.डी.पी.एस. अधिनियम में अंतर्विष्ट सविधिक आदेश का घोर उल्लंघन है और अभियोजन पक्ष का प्रकरण अत्यंत संदिग्ध हो जाता है।

23) नूर आगा (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले में विशेष रूप से नमूना लेने, सीलबंद और जप्ती की गई वस्तु तथा नमूने की सुरक्षित अभिरक्षा के संबंध में अनेक विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार है:-

"129 (ii) मुहर, जो भौतिक साक्ष्य की पवित्रता सुनिश्चित करती है, न तो मालखाना में और न ही सी.विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सामग्री के साथ प्राप्त हुई थी और न्यायालय में प्रस्तुत की गई।''

130. इस प्रकृति के मामले का भौतिक साक्ष्य न्यायालय की संपत्ति होने के कारण इसे उच्च कोटि का माना जाना चाहिए था। इसके प्रस्तुत न किये जाने से साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (छ) के

अर्थ के अंतर्गत प्रतिकूल उपधारणा निकाली जानी चाहिए। जबकि इतनी बड़ी संख्या में विसंगतियां हैं, यदि उनके संचयी प्रभाव को ध्यान में रखा जाए, तो इस आधार पर अनुज्ञेय उपधारणा यह होगी कि अपीलार्थी द्वारा प्रतिबंधित वस्तु के कब्जे के तथ्य को सिद्ध करने के अभियोजन पक्ष आधार का प्रयास संदेहास्पद है

133. तथापि, उच्च न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि भौतिक साक्ष्य सुरक्षित अभिरक्षा में था ऐसी उपधारणा इस आधार पर निकाली गई थी कि मुहरें अक्षुण्ण थीं, किन्तु उच्च न्यायालय द्वारा जिस बात पर ध्यान हीं दिया गया वह यह है कि भौतिक साक्ष्य के उपचार, निस्तारण और प्रस्तुतीकरण में स्पष्ट त्रुटियां हैं और यह निष्कर्ष कि वही सुरक्षित अभिरक्षा में था, अभियोजन पक्ष की ओर से संपूर्ण साक्ष्य की अपेक्षा करता है जो यह सुझाता है कि भौतिक साक्ष्य की पवित्रता में कोई दोष नहीं था। वर्तमान मामले में ऐसा नहीं किया गया"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24) गुरमेल सिंह पूर्वोक्त के प्रकरण में यह भी निर्धारित किया गया है कि अभियुक्त को सही रूप से दोषमुक्त किया गया था। इस तथ्य को दृष्टिगत को रखते हुए कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय नहीं थे, क्योंकि मालखाना रजिस्टर को सिद्ध करने के लिए कि मादक पदार्थ की वस्तु मालखाने में रखी गई थी और चुंकि नमूनों पर दिखने वाली सील की तुलना करने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला को नमूने के साथ मुहर का कोई नमूना नहीं भेजा गया था, प्रस्तुत नहीं किया गया है। दौलतराम पूर्वोक्त के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि ''उन साक्षियों की अपरीक्षा, जिनके कब्जे में नमूना रहा, अभियोजन पक्ष के लिए घातक होगी। लोप का अपरिहार्य तथ्य यह था कि अभियोजन पक्ष विचाराधीन अवधि के दौरान नमूने के बदले जाने या छेड़छाड़ किए जाने की संभावना को नकारने में विफल रहा है।''

25) रेमगुल उर्फ रेमुलाल पूर्वोक्त के प्रकरण में भी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सामान्य दृष्टिकोण व्यक्त किया है।

26) पूर्वोक्त विवेचना को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दिये गये दोषसिद्धि एवं दण्डाद्वेश के निर्णय को यह न्यायालय यथावत् रखने में असमर्थ है।

27) परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है कि निर्णय, दण्डाद्वेश के दोषसिद्धि के आदेश को अपास्त किया जाता है एवं अपीलार्थी को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

28) अपीलार्थी जमानत पर है उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। उसका जमानत बंदपत्र उन्मोचित किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29) इस आदेश की प्रतिलिपि संबंधित दाण्डिक अपील क्रमांक 1635/1995 में संलग्न किया जाये।

हस्ताक्षर

मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायामूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Adv Nikhat Shandan Jafri